

**ग्राम पंचायत रजेहड़, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं
का अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017**

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रजेहड़, विकास खंड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे।

प्रधान

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री संतोष चन्द	01-04-14 से 22-01-16
2	श्री अमर सिंह	23-01-16 से 31-03-17

सचिव

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्रीमति शिखा शुक्ला	01-04-2014 से 23-01-17
2	श्री प्यार चन्द	24-01-17 से 31-03-17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत रजेहड़ जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तर्शेष में अन्तर	0.81
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	-----
3	7	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.013

4	10	अनुदान राशियों का अवरोधन	2.91
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.04

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत रजेहड़ विकास खंड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06-01-18 से 10-01-18 तक ग्राम पंचायत रजेहड़ के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिये क्रमशः माह 03/2015, 03/2016, 03/2017 व 06/2014, 03/2016, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत रजेहड़ विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या-15 दिनांक-10-01-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत रजेहड़ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत रजेहड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

स्व-स्रोतों व अनुदान

ग्राम पंचायत रजेहड़ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

1 स्व:स्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	104233	424216	528449	224040	304409
2015-16	304409	332859	637268	320799	316469
2016-17	316469	239546	556015	374893	181122

2 अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	200624	307955	508579	289981	218598
2015-16	218598	781334	999932	522744	477188
2016-17	477188	1032487	1509675	1218281	291394

(अ) दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही का अन्तिम शेष (1+2) =

472516

नोट:-पंचायत द्वारा मनरेगा कि रोकड़ बही नहीं बनाई गई है तथा इसका आय-व्यय विवरण ऑनलाइन रिकॉर्ड से तैयार किया गया I

(ब) दिनांक 31.03.2017(ग्राम पंचायत रजेहड़) को बैंक में जमा तथा हस्तगत राशि का विवरण :-

1	SDP	2581000100174997	PNB KANDBARI	37370
2	MPLAD	2581000100175002	PNB KANDBARI	36929
3	IAY/RGAY	2581000100175011	PNB KANDBARI	22922
4	SF	2581000100168516	PNB KANDBARI	179226
5	3rd S.F.	20141006693	KCCB PALAMPUR	274257
6	13TH FC	2581000100175020	PNB KANDBARI	2956
7	MANREGA	2581000100155309	PNB KANDBARI	00
			CASH IN HAND	224
			TOTAL	₹553884

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही व बैंक खातों में जमा राशि में अन्तर ₹553884 - ₹472516 = ₹81368

- 5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.81 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रजेहड़ द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹81368 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है, जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाए। अन्तर का विस्तृत विवरण पैरा 4 में दिया गया है। तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :-

- 6.1 रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव न करना :-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन के लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त

बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत रजेहड़ में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 वर्गीकृत सार को तैयार न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय व एक व्यय दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत रजेहड़ द्वारा इस के न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व, (विवाह पंजीकरण शुल्क) ₹0.013 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रजेहड़ द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क वसूला नहीं जा रहा है अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक निम्न विवरणानुसार ₹1255 विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली अतिशीघ्र की जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए

वर्ष	विवाह पंजीकरण रजिस्टर पृ0 स0	पंजीकृत विवाह	वसूली जाने वाली राशि	राशि
2014-15	NIL	07	07@5	35
2015-16	NIL	04	04@5	20
2016-17	NIL	(14-07-16) 06	06@200	1200
			कुल योग	1255

8 निवेश:-

ग्राम पंचायत रजेहड़ द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था ।

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार निर्धारित फार्म में तैयार न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान ₹2.91 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-17 तक प्राप्त अनुदानों में से ₹291394 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.04 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹104311 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही किया गया है जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्ट्रों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

- 1 स्टॉक रजिस्टर
- 2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- 3 जल प्रभार रजिस्टर
- 4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
- 5 अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
- 6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
- 7 गृह कर वसूली रजिस्टर
- 8 डाक टिकट रजिस्टर
- 9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि।

13 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थायी भण्डार का रजिस्ट्रों में इन्द्राज किया गया है और न ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विविध अनियमितताये:—

- 14.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।
- 14.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार,आयकर,विक्रीकर,लेवर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।
- 14.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख

अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्ष:- लेखों के रखरखाव में हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे सक्म]कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं के रखरखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायें।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(2)177 / 2018 खण्ड-1-3081-3084 दिनांक 07.04.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि०प्र०
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत रजेहड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881